न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—104/2013 (2013/00138) वाद पत्र

उनवान

1—घीसी बेवा गंगाराम कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—चर्तुभुज पिता गंगाराम कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—मोहनी बेवा लालु कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर **फोत होने से नाम डिलिट**
2—बहादुर पिता गंगाराम कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—सन्तोषदेवी पत्नि बहादुर कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर — वादी अधिवक्ता
2. फारूख मोहम्मद — प्रतिवादी अधिवक्ता
3. महेश दाधीच — प्रतिवादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—12.10.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एक ही हिन्दु परिवार के सदस्य होकर मूल पुरूष लालुजी थे जिनके मोहनीबाई बेवा व गंगाराम गोद पुत्र थे यह दोनो उनके प्रथम श्रेणी के वारीस थे। गंगाराम जी की मृत्यु हो गई जिनके वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहादुर व उसका एक भाई राजु प्रथम श्रेणी के वारीस है किन्तु राजु गंगारामजी के भाई मांगीलालजी के कोई औलाद नही होने उनके गोद चला गया जिससे गंगारामजी क तीन वारीस चर्तुभुज, बहादुर एवं घीसी रहे है। हिन्दु सयुक्त परिवार की पैतृक एवं पुश्तेनी सम्पति ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में साबिक आराजी 102 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, 104/1 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 104/2 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित होकर इस हिन्दु संयुक्त परिवार के मूल पुरूष लालु पिता नाथु कुम्हार के नाम राजस्व रेकार्ड में तन्हा रूप से दर्ज थी। प्रमाण नकल जमाबन्दी संवत 2037 से 2040 तक साथ पेश की है। लालुजी की मृत्यु के पश्चात् उनकी विरासत की नामान्तकरण संख्या 1666 दिनांक 12.02.1985 को भरा जाकर दिनांक 15.06.1985 को फैसल किया गया जो केवल मात्र उनकी विधवा पत्नि मोहनीबाई के नाम कर दिया जबकि गोदपुत्र गंगाराम प्रथम श्रेणी का वारीस थे उनका भी उनकी [illegible] एक हिस्सा था। मृतक लालु की विरासत में नामान्तकरण में दर्ज नही किया जा[illegible] विरुद्ध तरीके से उनकी पीठ पिछे व न्याय सिद्धान्तो के विपरीत उक्त [illegible] तरीके से फैसल कर दिया जो शुरू से शुन्य एवं अकृत है और कानू[illegible] योग्य [illegible] लालु के कोई औलाद नही थी जिससे उन्[illegible] रस्मोरिवाज से स[illegible]माज के समक्ष उनके प्राकृतिक पिता जीतुजी, लालुजी के भाई से गोद लिया और पुरी जिन्दगी लालु पुत्रवत उनके साथ रहे व उनकी शादी भी लालुजी ने ही की व लालुजी की सेवा चाकरी व उनकी मृत्यु

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:07:20 IST
Reason: SelfAttested

उपरान्त सामाजिक क्रियाकर्म व पीण्डदान आदि भी गंगाराम जी ने ही किये जो राव की पोथी में अकिंत है जिससे मृतक लालुजी की छोड़ी हुई सम्पतियो में उनकी पत्नि कि साथ साथ 1/2 हिस्से के अधिकारी थे। उक्त वादवर्णित आराजियात में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पूर्वज गंगाराम का 1/2 हिस्सा बनता है जिससे उक्त सजरे अनुसार वादीगण का संयुक्त रूप से 2/6 हिस्सा बनता है जिसके खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है। ग्राम रायपुर का भुप्रबन्ध होने से नवीन नम्बर 172 रकबा 0.46 है0, 173 रकबा 0.04 है0, 174 रकबा 0.04 है0, 181 रकबा 0.67 है0, 182 रकबा 0.65 है0, 187 रकबा 0.10 है0, 188 रकबा 0.08 है0, 189 रकबा 0.04 है0, 190 रकबा 0.03 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 2.11 है0 भूमि कायम किये गये जो विधि विरूद्व नामान्तकरण से सम्पूर्ण भूमियां मोहनीदेवी बेवा लालु कुम्हार के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। मोहनीदेवी के नाम गैर कानुनी तरीके से प्रतिवादी संख्या 2 से मिलकर प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दिनांक 01.08.2013 को एक नुमाईशी दस्तावेज गिप्ट डीड निष्पादित करवा उसको पंजीबद्व करवा दिया जबकि सम्पूर्ण भूमियों को प्रतिवादी संख्या 1 को किसी भी तरीके से हस्तान्तरित करने का कोई अधिकार नही था और प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त वादग्रस्त भूमियों मे से अपने हिस्से से ज्यादा अविभक्त भुमियों को हस्तान्तरित करने का कोई अधिकार नही है। वादीगण को अपने हक व हिस्से से महरूम करने की गरज से उक्त नुमाईशी दस्तावेज निष्पादित करवा पंजीबद्व करवा दिया तथा उसका नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में करवा दिया। नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण को धमकी देने लग गये एवं भूमियों को विकय करने पर आमादा है जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी जारी फरमाया जाना आवश्यक है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि घोषणात्मक डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की फरमाई जावे कि ग्राम रायपुर के बैरून हल्का आबादी में आराजियात संख्या 172, 173, 174, 181, 182, 187, 188, 189, 190 कुल किता 7 कुल रकबा 2.11 है0 भूमि में 2/6 हिस्से के वादीगण खातेदार काश्तकार है एवं उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की फरमाई जावे कि वादीगण के हिस्से की कब्जे काश्त में किसी प्रकार की नाजायज दखलदांजी प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे न अन्य से करावे, तथा वादीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि से बैदखल नही करे तथा नाजायज कब्जा नही करे तथा न ही भूमियो को रहन बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित करे और न ही भारग्रहित करे और वादीगण को शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त करने देवे रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 09.10.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 4 फॉरमल पक्षकार होने से कोई कार्यवाही नही चाही गई।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अपने जवाब में अंकन किया कि वाद में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है और वादी [illegible] द्वारा पेश किया है वो झुठा है। गंगारामजी की एकमात्र उत्तराधिकारी [illegible] ही है। खातेदार लालु व मोहनीबाई ने गंगाराम को कभी गोद [illegible] लिया और न [illegible] कोई रस्म अदा की गई। वादवर्णित भूमि वादी की पैतृक व पुश्तैनी सम्पति नहीं है [illegible] लालु द्वारा छोड़ी गई सम्पति जिसमे वादीगण का कोई हक व दखल नही है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पति हड़पने की गरज से झुठे तथ्य अकिंत किये गये है। लालु की मृत्यु पश्चात विरासत का नामान्तकरण ग्राम पंचायत एवं राजस्व कर्मचारियो द्वारा जांच कर फैसल किया गया है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:07:20 IST
Reason: SelfAttested

सही है। प्रतिवादी संख्या 1 मोहनीबाई विवादित भूमि पर काश्त कर रही है व दान के पश्चात प्रतिवादी संख्या 3 संतोषदेवी काश्त कर रही है। जब तक मृतक लालु व प्रतिवादी 1 ने गंगाराम को गोद नही लिया प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को रजिस्टर्ड दस्तावेज के जरिये भूमि दिनांक 01.08.2003 को दान कर दी गई। जब तक पंजीकृत दानपत्र दिनांक 01.08.2013 को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करा तब तक वादीगण को वाद पेश करने का अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा सेवा चाकरी करने से प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रेम व स्नेह से प्रतिवादी संख्या 3 के नाम भूमि गिप्ट की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने कोई षडयंत्र नही रचा है प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नही है। वादवर्णित आराजियात पर वादीगण का कोई कब्जा नही है। मृतक लालु के निधन के बाद प्रतिवादी संख्या 1 मोहनी के नाम विधिवत नामान्तकरण हुआ है। गंगाराम स्वयं द्वारा अपने जीवनकाल में गोदनामे बाबत् चाराजोही नही की और वादीगण अब उसके निधन के बाद वाद पेश करने के अधिकारी नही हैं। वादीगण जब तक सक्षम न्यायालय से गोदपुत्र की घोषणा नही करा लेते तब तक उक्त वाद पोषणीय नही है और अन्त में वाद खारीज कराने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा वाद और प्रतिवाद के आधार पर 6 तनकियात कायम की गई जो इस प्रकार है।

1. आया कि मृतक गंगाराम को लालुजी दत्तक लिया जिससे वादीगण के नाम वादवर्णित आराजियात 2/6 हिस्से से दर्ज होनी चाहिये। **जिम्मे वादीगण**
2. आया कि लालु के निधन के बाद नामान्तकरण संख्या 166 दिनांक 12.02.1985 मोहनी के नाम गलत फैसल किया है। **जिम्मे वादीगण**
3. आया कि मृतक लालुजी कभी गंगाराम को दत्तक नही रखा है। **जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1**
4. आया कि गोदपुत्र घोषणा के क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है जिससे वाद खारीज होने योग्य है। **जिम्मे प्रतिवादीगण**
5. आया कि प्रतिवादी 1 ने पंजीकृत उपहार विलेख से उक्त भूमि प्राप्त की जो प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकारो के दर्ज रेकार्ड है। **जिम्मे प्रतिवादी**
6. आया कि उक्त उपहार विलेख को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नही कराने से वाद पोषणीय नही है। **जिम्मे प्रतिवादी**

पत्रावली साक्ष्य वादी में निहित है अभी तक वादी की ओर से साक्ष्य प्रारम्भ नही हुई इसी दौरान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में वादी ने उक्त वाद लालु के निधन के बाद गंगाराम गोदपुत्र होने के आधार पर प्रस्तुत किया है जबकि मृतक लालु ने गंगाराम को गोद नही रखा और लालु के निधन के बाद उनकी प्रतिवादीया मोहनी के नाम विधिवत नामान्तकरण फैसल हुआ है एवं मोहनी के नाम उक्त भूमि दर्ज रेकार्ड चली आ रही है गोदपुत्र के घोषणा की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है वादीगण सक्षम न्यायालय से गोदपुत्र की घोषणा नही करा लेते है तब तक वाद पोषणीय नही है। गोदपुत्र की घोषणा की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नही होने से उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित है अतः वाद खारीज फरमाया जावें।

वाद और प्रतिवाद के आधार पर जो तनकियात कायम की गई उसमे तनकी नम्बर 4 व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस से इसका निस्तारण पहले किया जाना आवश्यक है जिसके आधार पर उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपनी बहस में मुख्य निवेदन किया कि मोहनी बेवा लालु खातेदार के द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज के जरिये भूमि संतोष

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:07:20 IST
Reason: SelfAttested

देवी के नाम पर दान की गई है जिससे विवादित भूमि संतोष देवी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अमल हो चुका है। गंगाराम कहा से आया अंकन नही है। गोदनामा रेकार्ड पर नही है। गोदनामा सिविल कोर्ट तय करती है। दिनांक 01.08.2013 से गिफ्ट डीड निष्पादित की गई जो वेलिड है सिविल कोर्ट ही गिफ्ट डीड को निरस्त कर सकती है और गोदनामा का निर्धारण भी सिविल कोर्ट द्वारा ही किया जाता है। राजस्व न्यायालय को इस वाद को सुनने का अधिकार नही है। इसी के समर्थन में प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बैंच सिविल रीट पीटीशन नम्बर 1118/2019 निर्णय 2 मार्च 2020 लक्ष्मणसिंह राजपूत बनाम श्यारसिंह राजपूत सीटी (राज) 2020 (2) पेज 630 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किया जो शामिल पत्रावली है। इसी के आधार पर इसी स्टेज पर वाद को खारीज फरमाया जावे।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के विरूद्व अपनी बहस में मुख्य कथन किया कि वादी का वाद खातेदारी घोषणा का है। गंगारामजी का गोद कस्टम से साबित कराना हैं। गोदपुत्र घोषित कराने का वाद नही है। प्रतिवादी भी गोदपुत्र के वारीस है। राजस्व रेकार्ड में भूमि दर्ज का आदेश राजस्व न्यायालय से ही होगा गोदपुत्र घोषित कराने की सहायता नही है। फेक्ट एण्ड लॉ के व साक्ष्य के आधार पर वाद तय होना है तकनिकी बिन्दु के आधार पर वाद खारीज नही हो सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

दोनो अधिवक्ताओ की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गंभीरता से विचार किया तो पाया कि प्रकरण में साक्ष्य के पहले प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना आवश्यक है और प्रार्थना पत्र भी मुख्य इसी बात का है कि वादी गोदपुत्र के आधार पर ही खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया गया है अर्थात वादी यह कहकर न्यायालय में आया कि मृतक लालुजी के वादी के पिता गंगारामजी को गोद रखा है जिससे लालु की विरासत के दौरान मोहनी बेवा के साथ में गोदपुत्र की हैसियत से वादीगण के पिता का नाम भी दर्ज होना चाहिये था जो विरासत के नामान्तकरण में 1666 मे दर्ज नही किया गया है। विरासत के नामान्तकरण की जाचं ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण कोरम में की जाकर नामान्तकरण निर्णित किया है। अगर वादीगण के पिता को लालु द्वारा गोद रखा जाता तो नामान्तकरण में भी इसका इन्द्राज होता इसके अतिरिक्त खातेदार लालु वर्ष 1984 में फोत होना नामान्तकरण से जाहिर है। वर्ष 1984 से 2013 तक लगभग 30 वर्ष तक गंगाराम व वादीगण द्वारा इस बाबत् कोई चाराजोही नही की गई। मृतक लालु की बेवा मोहनीबाई द्वारा सेवा चाकरी एवं आपसी स्नेह प्रेम से श्रीमती संतोषदेवी पत्नि बहादुर कुम्हार को उसके नाम दर्ज भूमि की गिफ्ट डीड की गई है। अगर मृतक लालु के द्वारा वादीगण के पिता को गोद रखा जाता तो निश्चित रूप से मृतक लालु की पत्नि मोहनी बाई की सलाह ली जाती और दोनो पति पत्नि की सलाह पर गोद लिया जाता इस प्रकरण में स्वयं मोहनीबाई प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में अंकन किया कि वादीगण के पिता को कभी गोद नही रखा। वादीगण के पिता या वादीगण द्वारा मोहनीबाई की सेवा अगर गोदीपुत्र की हैसियत से करते तो माहेनीबाई के द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में गिफ्ट डीड कराने कराने की जरूरत नही होती। गिफ्ट डीड करवाने के बाद ही वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया। इससे पहले वादीगणो या वादीगण के पिता द्वारा भूमि अपने नाम कराने हेतु कोई कार्यवाही नही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:07:20 IST
Reason: SelfAttested

मुख्य विवाद मोहनीबाई द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में दिनांक 01.08.2013 गिफ्ट डीड करवाने से विवाद उत्पन्न हुआ है अर्थात वाद एवं विवाद का मुख्य बिन्दु गिफ्ट डीड है और प्रतिवादी संख्या 3 का गिफ्ट डीड के आधार पर ही राजस्व रेकार्ड में स्वामित्व है। अगर वादीगणो को गिफ्ट डीड को लेकर कोई आपत्ति है या गिफ्ट डीड कोई गलत की गई है

तो इसका निर्धारण सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ साथ इस न्यायालय में वादीगण मृतक लालु का गोदपुत्र गंगाराम व गंगाराम के पुत्र वादीगण होने से वादीगण यह साबित कराने चाह रहे है कि उनके पिता लालुजी के गोद रहे है जो विधिविरूद्व है। गोदपुत्र के आधार पर अगर वादी के पिता द्वारा खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया जाता तो फेक्ट एण्ड लॉ, साक्ष्य, सबुत एवं गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण इस न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता था किन्तु इस न्यायालय में वादीगण द्वारा भी गोदपुत्र की हैसियत से खातेदारी घोषणा का वाद लाये है जो गंगाराम को गोदपुत्र साबित करने का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को नही है।

वादीगण द्वारा विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डीड को चुनोती दी जाने पर सिविल न्यायालय द्वारा अगर गिफ्ट डीड को निरस्त कर दी जाती है तो वादीगण खातेदारी की घोषणा का वाद इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। विचाराधीन प्रकरण में मुख्य बिन्दु गंगाराम का गोदपुत्र साबित होने पर ही वादीगण अग्रिम कार्यवाही कर सकते है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जो राजस्थान हाईकोर्ट का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकन किया तो पाया कि प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.02.2016 को स्वीकार कर तनकी संख्या 4 का निर्णय बहक प्रतिवादीगण विरूद्व वादीगण किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.02.2016 को स्वीकार कर विधिक तनकी संख्या 4 का निर्णय बहक प्रतिवादीगण विरूद्व वादीगण के किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद वादीगण के पिता गंगाराम को मृतक खातेदार लालुजी का गोदपुत्र होना साबित कराने से सम्बधित है। वादीगण की ओर से गोदनामे से सम्बधित कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नही कर वादीगण कस्टम के आधार पर गोद साबित कराना चाहते है जो इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नही होने इसी स्टेज पर अस्वीकार किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.10.2021

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:07:20 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—104/2013 (2013/00138) वाद पत्र

उनवान

1—घीसी बेवा गंगाराम कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—चर्तुभुज पिता गंगाराम कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—मोहनी बेवा लालु कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर फोत होने से नाम डिलिट
2—बहादुर पिता गंगाराम कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—सन्तोषदेवी पत्नि बहादुर कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.02.2016 को स्वीकार कर विधिक तनकी संख्या 4 का निर्णय बहक प्रतिवादीगण विरूद्व वादीगण के किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद वादीगण के पिता गंगाराम को मृतक खातेदार लालुजी का गोदपुत्र होना साबित कराने से सम्बधित है। वादीगण की ओर से गोदनामे से सम्बधित कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नही कर वादीगण कस्टम के आधार पर गोद साबित कराना चाहते है जो इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नही होने इसी स्टेज पर अस्वीकार किया जाता है।

वाद में डिक्री आज दिनांक 12.10.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

12.10.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:07:20 IST
Reason: SelfAttested